



2026:AHC:125709

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18777 वर्ष 2026

जितेन्द्र यादव

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : लक्ष्मी देवी, पंकज द्विवेदी

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- हमने आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री लक्ष्मी देवी और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री आनंद प्रताप सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- तत्काल जमानत याचिका दायर की गई है जिसमें आवेदक को केस क्राइम नंबर 67/2026, धारा 87, 69, 351(3) बीएनएस, पुलिस स्टेशन- बेलघाट, जिला गोरखपुर में मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
- आवेदक के विद्वान वकील का तर्क है कि हालांकि एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने प्रथम शिकायतकर्ता की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है, जो कि स्वीकार्य रूप से बालिग है। वापस लौटने के बाद, पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में विशेष रूप से कहा कि वह बालिग होने के नाते, अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, क्योंकि वह पिछले तीन वर्षों से आवेदक के साथ प्रेम संबंध में है और उसके साथ 17 दिनों तक रही थी। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक द्वारा कोई गलत काम नहीं किया गया था। हालांकि, धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में, माता-पिता द्वारा सिखाए जाने के आधार पर, पीड़िता ने अपने बयान में थोड़ा बदलाव किया, हालांकि उसने इस तथ्य को

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वीकार किया कि आवेदक का आवेदक के साथ प्रेम संबंध था। उसे दबाव में घर छोड़ना पड़ा और वह 17 दिनों तक आवेदक के साथ अलग-अलग जगहों पर रही। आवेदक के वकील ने आगे कहा कि बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को देखने से यह स्पष्ट है कि वह सहमति देने वाली पक्ष थी और अपनी मर्जी से शादी करने के लिए अपना घर छोड़कर गई थी। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि पीड़िता की चिकित्सा जांच बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करती है। आवेदक ने एक मामले में अपने आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है और दूसरा मामला कोविड काल के दौरान सरकार द्वारा लागू किए गए कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित है। अंत में यह निवेदन किया जाता है कि पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। वह 30.04.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 6765) मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **जितेन्द्र यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

9. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को **गोरखपुर जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा और ट्रायल कोर्ट को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो कि जमानत देने की नीति रणनीति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हो, जिसमें **स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 पर 31.01.2023 को निर्णय लिया गया था (2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित, साथ ही **पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 पर 29.05.2026 को निर्णय लिया गया था।**

12. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका निपटारा हो चुका है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

5 जून, 2026

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।